

EM

**बिहार सरकार**  
**सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग**

आ०सं०-01/स्था०(मु०) विविध 13-12/2025-241 सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक-19/06/26

**आदेश**

निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-18.04.2019 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की बैठक में समिति द्वारा श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त इकाई लिपिक, जिला जन सम्पर्क कार्यालय, नवादा पर गबन से संबंधी वाद चलने के कारण प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एम०ए०सी०पी० की अनुशंसा करते हुए मामले के निष्पादन तक मुहरबंद लिफाफे में रखा गया।

उपरोक्त वाद में दिनांक-21.02.2025 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नालन्दा द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसमें श्री गुप्ता निर्दोष पाये गये।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4685 दिनांक-25.06.2003 एवं संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के आलोक में सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के अधीन कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्रदान करने हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में जिला जन सम्पर्क कार्यालय, नवादा में कार्यरत, निम्नांकित कर्मी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4, 5 एवं 6 में अंकित तिथि से अनुमान्य वेतनमान एवं ग्रेड पे में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र० | कर्मी का नाम/<br>पदनाम/ कार्यालय<br>का नाम          | नियुक्ति<br>की तिथि | देय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि एवं ग्रेड पे     |                                                                    |                                                               | अभ्युक्ति |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|      |                                                     |                     | प्रथम                                                           | द्वितीय                                                            | तृतीय                                                         |           |
| 1    | 2                                                   | 3                   | 4                                                               | 5                                                                  | 6                                                             | 7         |
| 1    | श्री ओम प्रकाश गुप्ता,<br>सेवानिवृत्त इकाई<br>लिपिक | 21.06.75            | दि०-09.08.99 के<br>प्रभाव से वेतनमान-<br>4500-7000/- में<br>देय | दि०-09.08.99 के<br>प्रभाव से<br>वेतनमान-<br>5000-8000/-<br>में देय | दि०-01.01.2009<br>के प्रभाव से ग्रेड<br>पे- 4200/- में<br>देय |           |

2. भविष्य में किसी भी सरकारी सेवक के संबंध में उल्लेखित आंकड़ा/सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर दी गई रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(कामेश्वर मिश्रा)  
संयुक्त सचिव,  
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-.....सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(कामेश्वर मिश्रा)  
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- निदेशक के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त निदेशक (लेखा)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट), सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(कामेश्वर मिश्रा)  
संयुक्त सचिव।

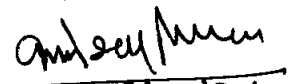
ज्ञापांक-.....सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- उप जन सम्पर्क निदेशक (क्षेत्र), मगध प्रमंडल, गया/जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, नवादा/श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सेवानिवृत्त इकाई लिपिक, जिला जन सम्पर्क कार्यालय, नवादा (पता-ग्राम-भैसासुर, थाना-पोस्ट-बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(कामेश्वर मिश्रा)  
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....1133.....सू०ज०स०वि०, पटना, दिनांक-.....19/06/26.....

प्रतिलिपि:- श्री जितेन्द्र कुणाल, आई०टी० मैनेजर, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
19/06/26  
(कामेश्वर मिश्रा)  
संयुक्त सचिव।